न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 64/2025 (2025/241)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
लादूराम पुत्र नारायणराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम धुन्धाड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर।		1. केवलराम पुत्र मिसराराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम धुन्धाड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर। 2. शांतिदेवी पत्नी मिसराराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम धुन्धाड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर। 3. गीतादेवी पुत्री मिसराराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम धुन्धाड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर। 4. जगदीश पुत्र मिसराराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम धुन्धाड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर। 5. दिनेश पुत्र मिसराराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम धुन्धाड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर। 6. गीगाराम पुत्र गुणेशराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम धुन्धाड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर। 7. चैनाराम पुत्र गुणेशराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम धुन्धाड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर। 8. जोगाराम पुत्र गुणेशराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम धुन्धाड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर। 9. मृतक मंगलाराम पुत्र पीराराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम धुन्धाड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर। 9/1 अखराम पुत्र मंगलाराम 9/2 बाबूराम पुत्र मंगलाराम 9/3 सुजाराम पुत्र मंगलाराम 9/4 भंवरी पुत्री मंगलाराम 9/5 सीता पंवार पुत्री मंगलाराम 9/6 मानी पत्नी मंगलाराम सभी जातियान मेघवाल निवासी ग्राम धुन्धाड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर। 10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी।

वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–

1. **वादी की और से अधिवक्ता श्री भंवरलाल पटेल।**
2. **प्रतिवादी संख्या एक से चार की और से अधिवक्ता श्री नवीन शर्मा।**

दिनांकः– 06-2-2026

–: : निर्णय : :–

1— वादी द्वारा एक राजस्व वाद (64/2025) 2025/241 बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 के रेकर्डेड सहखातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 259 रकबा 4.4353 हैक्टयर वाके ग्राम धुन्धाड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर में आयी हुई है जमाबन्दी में दर्ज अपने अपने हिस्से अनुसार अपने अपने हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे है। जिसमें वादी का 15/137 वां हिस्सा निहित है जमाबन्दी में दर्ज अपने अपने हिस्से अनुसार अपने अपने हिस्से एवं मौके पर काबिज अनुसार उक्त विवादग्रस्त खसरान की कृषि भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउंड्स बंटवाड़ा करवाने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया।

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

वाद में प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.06.2025 को जारी की गई एवं तहसीलदार लूणी को बाई मिट्स एण्ड बाउंड्स बंटवाड़ा प्रस्ताव पेश करने हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार लूणी के माफिक प्राथमिक डिक्री पक्षकारान् के मध्य नियमानुसार अपनी रिपोर्ट मय बंटवाड़ा प्रस्ताव पत्र कमांक/भू.अ./2025/3132 दिनांक 16.10.2025 को पेश किया गया। वादीगण का भूमि के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज (जमाबंदी दिनांक 06.10.2025 से स्पष्ट) है। तहसीलदार लूणी द्वारा प्रेषित बंटवाड़ा प्रस्ताव दिनांक 16.10.2025 को की गई जिसके आधार पर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्ताव पेश किया जो संलग्न पत्रावली है। इसके अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सानुसार प्रस्तावित बंटवाड़ा प्रस्ताव निम्नानुसार है:–

क्र. स.	खातेदार का विवरण	खसरा संख्या	रकबा हैक्टयर में	किस्म	लगान
1	लादूराम पुत्र नारायणराम जाति मेघवाल सा देह खातेदार	259	0.3965	बारानी तृतीय	0.68
		259	0.0891	बारानी तृतीय	0.15
		02	0.4856	बारानी तृतीय	0.83
1	अखाराम पुत्र मंगलाराम हिस्सा 913/9760	259	03.9497	बारानी तृतीय	6.84
2	केवलराम पुत्र मिसराराम हिस्सा 34/9760				
3	गीगाराम पुत्र गुणेशराम हिस्सा 1370/9760				
4	गीतादेवी पुत्री मिसराराम हिस्सा 35/9760				
5	चैनाराम पुत्र गुणेशराम हिस्सा 1370/9760				
6	जगदीश पुत्र मिसराराम हिस्सा 34/9760				
7	जोगाराम पुत्र गुणेशराम हिस्सा 1370/9760				
8	दिनेश पुत्र मिसराराम हिस्सा 34/9760				
9	बाबूराम पुत्र मंगलाराम हिस्सा 913/9760				
10	भवरी पुत्री मंगलाराम हिस्सा 913/9760				
11	मानी पत्नि मिसराराम हिस्सा 913/9760				
12	शांतिदेवी पत्नि मिसराराम हिस्सा 35/9760				
13	सुजाराम पुत्र मंगलाराम हिस्सा 913/9760				
14	सीता पंवार पुत्री मंगलाराम हिस्सा 913/9760 जातियान मेघवाल सा देह खातेदार				

उक्त बंटवाड़ा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया जाने पर दोनो पक्षकारान संयुक्त खातेदार होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण का बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिक्री पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि बंटवाड़ा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 06.10.2025 के अनुसार विभाजन कर वादी एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे तथा राजस्व नक्शे में तरतीम इन्द्राज करें। रहन हिस्से अनुसार दर्ज रखा जावें। बंटवाड़ा प्रस्ताव एवं मौका फर्द दिनांक 06.10.2025 डिक्री का अभिन्न अंग समझा जावे डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार लूणी को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हँसमुख कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

डिकी बमुकदमें दबतदाई
ओर्डर 21 रूल 6,–7 जाब्ता दीवानी
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 64/2025 (2025/241)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
लादूराम पुत्र नारायणराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम धुन्धाड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर।		1. केवलराम पुत्र मिसराराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम धुन्धाड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर। 2. शांतिदेवी पत्नी मिसराराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम धुन्धाड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर। 3. गीतादेवी पुत्री मिसराराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम धुन्धाड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर। 4. जगदीश पुत्र मिसराराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम धुन्धाड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर। 5. दिनेश पुत्र मिसराराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम धुन्धाड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर। 6. गीगाराम पुत्र गुणेशराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम धुन्धाड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर। 7. चैनाराम पुत्र गुणेशराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम धुन्धाड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर। 8. जोगाराम पुत्र गुणेशराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम धुन्धाड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर। 9. मृतक मंगलाराम पुत्र पीराराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम धुन्धाड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर। 9/1 अखराम पुत्र मंगलाराम 9/2 बाबूराम पुत्र मंगलाराम 9/3 सुजाराम पुत्र मंगलाराम 9/4 भंवरी पुत्री मंगलाराम 9/5 सीता पंवार पुत्री मंगलाराम 9/6 मानी पत्नी मंगलाराम सभी जातियान मेघवाल निवासी ग्राम धुन्धाड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर। 10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी।

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बंटवाड़ा प्रस्ताव एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया। यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि –

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि बंटवाड़ा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 06.10.2025 के अनुसार विभाजन कर वादी एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे तथा राजस्व नक्शे में तरतीम इन्द्राज करें।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

निज........../........मुवलिक....../.........बावत........../..............खर्चा इस मुकुदमें में मय सूद व वगैरह ....../...
फीसदी सलाना आज की तारीख व तारीख वसुलयावी तक........./.........को अदा करे।

वसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 06-2-2026 जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

मुद्दाई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरीजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिंक मीजान	/ /	/ /	स्टाम्प अरीजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिंक मीजान	– ✓	– /

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी